जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा ।

"प्रमाण पत्रों की जांच से संबंधी सूचना"

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रांची के अधिसूचना संख्या 1016 दिनांक 01.03.2017, पत्रांक 1192 दिनांक 09.03.2017 एवं इस कार्यालय के ज्ञापांक 197 दिनांक 14.03.2017 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत चतरा जिला के लिए जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर Project Monitoring Unit (PMU) गठन हेतु संविदा के आधार पर स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्ति हेतु विभागीय वेबसाईट applyrdd.jharkhand.gov.in पर प्राप्त आवेदनों को जिला स्तर पर प्रथम स्तर से स्कूटनी की जानी है, जिसके लिए संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यता से संबंधित जांच अनिवार्य है । प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निम्न तिथि निर्धारण किया जाता है :-

क्र0	पद का नाम	अभ्यर्थियों का कमांक	प्रमाण पत्रों की जांच हेतु तिथि
जिला स्तर			
1	जिला समन्वयक	01-10	07.06.2017 (प्रात: 9.00 से 5.00 बजे तक)
2	प्रशिक्षण समन्वयक	01-06	
3	लेखापाल-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर	01-12	
प्रखण्ड स्तर			
1	प्रखण्ड समन्वयक	01-169	08.06.2017 (प्रात: 9.00 से 5.00 बजे तक)
2	लेखापाल-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर	01-50	07.06.2017 (प्रात: 9.00 से 5.00 बजे तक)

अभ्यर्थियों के लिए निदेश :-

1. अभ्यर्थी द्वारा विभागीय वेबसाईट में अपलोड किया गया प्रमाण पत्र का मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थिति होना अनिवार्य होगा ।
2. जिन अभ्यर्थियों का जाति/आवासीय प्रमाण पत्र जून 2016 के पूर्व का निर्गत है, उन्हें वर्तमान निर्गत प्रमाण पत्र (अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत) समर्पित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अयोग्य घोषित होने की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेवार होगें ।

3. निर्धारित तिथि को अनुपस्थिति रहने पर आपका आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा आपका कोई दावा व आपति अमान्य होगा ।

4. जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में CGPA/DGPA अंकित हो, उन्हें अपने संस्थान से प्राप्तांक प्रतिशत में बदलने संबंधी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

5. चयन समिति द्वारा नियुक्ति से संबंधित लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा तथा किन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा किसी भी स्तर पर आपति व दावा मान्य नहीं होगा ।

उप विकास आयुक्त
चतरा ।

ज्ञापांक......517......../जि0ग्रा0 दिनांक 01/06/2017

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेशित है कि उक्त सूचना हस्ताक्षरित प्रति एवं अभ्यर्थियों की सूची जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेशित है कि सभी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, डी0आर0डी0ए0, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

उप विकास आयुक्त
चतरा ।